



संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा) / A15-29/2020

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
है०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून: दिनांक ३० मई, 2022

कृपया अपने पत्र संख्या: ९६२९ दिनांक ०७ जनवरी, २०२१ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा आरोग्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, जनपद हरिद्वार को बी०एस०-नर्सिंग पाठ्यक्रम में ३५ सीटों के साथ शैक्षिक सत्र २०१९-२० का अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

२— शैक्षिक सत्र २०१९-२० हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-२०१४ की धारा-३६ (१) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
१	२	३	४	५
१.	आरोग्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, जनपद हरिद्वार	बी०एस०-नर्सिंग	३५ सीट	२०१९-२०

१— निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

२— प्रामूली राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा प्रश्नगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियामक संस्था से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उसकी एक प्रति इस सचिवालय को प्रेषित करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

३— विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C /राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

४— शैक्षिक सत्र २०१९-२० व्यतीत हो चुका है। इसके दृष्टिगत मा० कुलाधिपति द्वारा छात्र हित में सत्र २०१९-२० के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है किन्तु इस स्वीकृति को नजीर न मानते हुए अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मा० कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संस्थान में उपलब्ध ढांचागत सुविधायें U.G.C /नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण हैं अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या: ८२० (१)/जी०एस०/शिक्षा/A15-29/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

१. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
२. प्राचार्य, आरोग्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, जनपद हरिद्वार।
३. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० अद्वौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।